न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली(जयपुर)राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :–

1. सीताराम पुत्र घीसाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुहाडा तहसील विराटनगर जयपुर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रत्यर्थी

अपील प्रकरण संख्या 32/2019 निर्णय दिनांक 02.04.2019 नायब तहसीलदार तहसील विराटनगर अन्तर्गत धारा 91 काश्तकारी अधिनियम 1956 से पीड़ित होने पर।

निर्णय

दिनांक 18.2.20

नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश मुकदमा प्रकरण संख्या 32/2019 ब उनवान सरकार बनाम सीताराम निर्णय 02.04.2019 से रूष्ट होने पर इसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील निम्न तथ्यों के आधार पर बिन्दुवार पेश की है जो निम्मन भांति पेश है।

1. यह कि अपीलार्थी वाकेग्राम कुहाडा तहसील विराटनगर का रहने वाला है जाति से ब्राहमण है। अपीलार्थी की ग्राम कुहाडा मे खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 566/0.15, 575/0.13, 578/0.08, 590/0.12, 591/0.28, 592/0.11, 598/0.07, 602/0.34, 603/0.05, 651/0.36 कुल किता 10 रकबा 1.69 है. हिस्सा 1/2 अपीलार्थी का है। अपीलार्थी के हिस्से मे आई भूमि के पास खसरा नम्बर 578 के पास खसरा नम्बर 580, 581, 582 कुल किता 3 रकबा 0.14 है0 स्थित है।
2. यह है कि पटवारी हल्का ने सम्वत 2075 मे खसरा नम्बर 580, 581, 582 अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर नायब तहसीलदार विराटनगर के यहां रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार विराटनगर ने अपीलार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर 28 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अपीलार्थी की तामील अपीलार्थी को ना होकर उसके सह खातेदार रामेश्वर पुत्र घीसाराम से हुई है। अपीलार्थी को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित किये है।
3. यह है कि उक्त खसरा नम्बर 580, 581, 582 पर कोई कमी कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे एक चक्की लगा रखी है जो कई विगत सालों से लगी है जिसकी रंजीस की वजह से अपीलार्थी को अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
4. यह है कि दिनांक 16.07.2019 को अपीलार्थी द्वारा नकल प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील देरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 अलग से पेश है उक्त अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है जिसको सुनने एवं निर्णित करने का श्रीमान को अधिकार प्राप्त है। अतः अपील की सुनवाई कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 02.04.2019 को निरस्त फरमाया जावे।
5. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई, रिपोर्ट समात पाई जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट की नियमानुसार

विधिवत तलवी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील पैरोकार सरकार उपस्थित आये।

6. यह कि अपीलार्थी के वकील द्वारा अपीलार्थी का अतिक्रमण होना नही जाहिर करने पर पैरोकार सरकार को उक्त अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी जाने पर पैरोकार सरकार ने 11.02.2020 को तैयार फर्द मौका रिपोर्ट पेश की गई जो संलग्न पत्रावली है।

7. बहस सुनी गई, वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस मे अभिकथन किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कुहाडा मे खसरा नम्बर 566/0.15, 575/0.13, 578/0.08, 590/0.12, 591/0.28, 592/0.11, 598/0.07, 602/0.34, 603/0.05, 651/0.36 कुल किता 10 रकबा 1.69 है. भूमि स्थित है जिसमे 1/2 हिस्सा अपीलार्थी का है। उक्त खातेदारी खसरा नम्बर 578 के पास खसरा नम्बर 580, 581, 582 कुल किता 3 रकबा 0.14 है0 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 580, 581, 582 मे पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी मानकर नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की है उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा उक्त आराजी से बेदखली तथा लगान के 50 गुणा पैनल्टी 28/– रूपये जुर्माना से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा ना ही अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई, केवल प्रकरण के सह खातेदार से तामील कराई जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे एक चक्की विगत कई सालों से लगा रखी है इसकी रंजीसवश अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मु.नं. 32/2019 व उनवान सरकार बनाम सीताराम निर्णय दिनांक 02.04.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

8. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस मे कथन किया कि गैर सायल/अपीलान्ट ग्राम कुहाडा के आराजी खसरा नम्बर 580, 581, 582 किस्म चारागाह मे 0.14 है0 भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश करने पर प्रकरण को दर्ज कर विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर अतिक्रमण साबित होने पर प्रकरण नियमानुसार लगान का 50 गुणा 28/– रूपये पैलन्टी आरोपित की गई है। इसलिए पारित आदेश 02.04.2019 के द्वारा बेदखली के आदेश पारित हुए है। उक्त अतिक्रमण होने बाबत पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.02.2020 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे मौके पर उपरोक्त आराजी मे खडी फसल तरा को मौके पर नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया है। उक्त आराजी पर मौके पर अतिक्रमण नही है तथा अतिक्रमी को मौके पर पाबन्द किया गया है कि भविष्य मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे। इससे साबित है कि गैर सायल/अपीलान्ट का उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील चलने योग्य नही है। अतः खारिज फरमावे।

9. हमने उभयपक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन कर विवेचन पर पाया कि अपीलार्थी/गैर सायल ग्राम कुहाडा के आराजी खसरा नम्बर 580, 581, 582 किस्म चारागाह तहसील विराटनगर की भूमि पर 0.14 है0 पर कब्जा किया गया था उक्त आराजीयात पर गैरसायल/अपीलान्ट ने कब्जा कर अतिक्रमण पाया जाने पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर ने मु. नं. 32/2019 उनवान

सरकार बनाम सीताराम मे दिनांक 02.04.2019 को निर्णय पारित कर लगान का पचास गुणा पैलन्टी राशि 28/–रूपये तथा बेदखली के आदेश हुये है जो सरकारी/सिवायचक/चारागाह भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करना गैर कानूनी है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ना दिया जाकर तामील अन्य किसी व्यक्ति से होने के कारण भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये है तथा इसके अलावा यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट का मौके पर कब्जा ना होकर कोई अतिक्रमण नही किया है। प्रकरण मे अतिक्रमण बाबत पैरोकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई फर्द मौका रिपोर्ट 11.02.2020 के अनुसार मौके पर उपरोक्त आराजी मे खडी फसल तरा को मौके पर नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया है। उक्त आराजी पर मौके पर अतिक्रमण नही है तथा मौका फर्द रिपोर्ट मे अतिक्रमी को मौके पर पाबन्द किया गया है कि भविष्य मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे। इससे साबित होता है कि गैरसायल/अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजीयात की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर पैनल्टी व बेदखली के आदेश पारित किये है। चूंकि वर्तमान मे उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा तथा अतिक्रमण नही है तथा गैरसायल/अपीलान्ट को भविष्य मे भी अतिक्रमण नही करने बाबत पाबन्द किया गया है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नही है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 32/2019 व उनवान सरकार बनाम सीताराम के पारित निर्णय 02.04.2019 के अनुसार पैनल्टी राशि यथावत रखी जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
11. यह निर्णय आज दिनांक 18.2.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)